झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संoसंo-मoनिo-II-उoयोo-03/2013-14/ 08 /मत्स्य, रॉची, दिनांक 24-05-16

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भाo प्रo सेo
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉची।

पचारिक रुप द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।
परामर्शित

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मॉग संख्या-53 (राoयोo को केoसoयोo) मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के बजट उपबंध के अंतर्गत मोo 698.00 लाख (छः करोड़ अन्ठानबे लाख) रुo मात्र राज्यांश मद से तथा मोo 698.00 लाख (छः करोड़ अन्ठानबे लाख) रुo मात्र केन्द्रांश मद से अर्थात् कुल मोo 1396.00 लाख (तेरह करोड़ छियानबे लाख) रूo मात्र के अनुमानित व्यय पर राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना अन्तर्गत मछुआ आवास निर्माण की योजना की स्वीकृति के संबन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संo-14/15 दिनांक 10.07.2015 एवं राज्यादेश संo-23 दिनांक 12.01.2016 तथा ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश संo-1181 एवं 1183 दिनांक 10.07.2015 के कम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न आनलाईन स्वीकृत्यादेश संo 630 दिनांक 24.05.16 के द्वारा मॉग संख्या-53 मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के बजट उपबंध (राoयोo को केoसoयोo) के अंतर्गत मोo 698.00 लाख (छः करोड़ अन्ठानबे लाख) रुo मात्र राज्यांश मद से तथा मोo 698.00 लाख (छः करोड़ अन्ठानबे लाख) रुo मात्र केन्द्रांश मद से अर्थात् कुल मोo 1396.00 लाख (तेरह करोड़ छियानबे लाख) रूo मात्र के अनुमानित व्यय पर राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत मछुआ आवास निर्माण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में कुल 1860 आवास के निर्माण का भौतिक लक्ष्य है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय-02-मछुआरों का आवास निर्माण योजना अंतर्गत कुल भारित मोo 1396.00 लाख (तेरह करोड़ छियानबे लाख) रूo मात्र निम्न लघु शीर्षों के अनुरुप व्यय किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है:

राज्यांश मद का स्वीकृत बजट उपबंध एवं स्वीकृत राशि :- (राशि लाख रु0 में)

क्र0	शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
i.	4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय- लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 02- मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) - विस्तृत शीर्ष- 05- निर्माण 45-निर्माण कार्य 53 P 4405 00 789020545	75.00	75.00
ii.	4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय- लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - 02- मछुआरों का आवास निर्माण - विस्तृत शीर्ष- 05- निर्माण 45- निर्माण कार्य-53 P 4405 00 796020545	210.00	210.00
iii.	4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय- लघु शीर्ष 101-अन्तर्देशीय मछली पालन - 02- मछुआरों का आवास निर्माण - विस्तृत शीर्ष- 05- निर्माण 45- निर्माण कार्य-53 P 4405 00 101020545	413.00	413.00
	कुल	**698.00**	**698.00**

केन्द्रांश मद का स्वीकृत बजट उपबंध :-

क्र0	शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
i.	4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय- लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 02- मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) - विस्तृत शीर्ष- 05- निर्माण 45- निर्माण कार्य 53 C 4405 00 789020545	75.00	75.00
ii.	4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय- लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - 02- मछुआरों का आवास निर्माण - विस्तृत शीर्ष- 05- निर्माण 45- निर्माण कार्य 53 C 4405 00 796020545	210.00	210.00
iii.	4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय- लघु शीर्ष 101-अन्तर्देशीय मछली पालन - 02- मछुआरों का आवास निर्माण - विस्तृत शीर्ष- 05- निर्माण 45- निर्माण कार्य 53C 4405 00 101020545	413.00	413.00
	कुल	**698.00**	**698.00**

केन्द्रांश एवं राज्यांश मद से कुल स्वीकृत राशि मो0 1396.00 लाख (तेरह करोड़ छियानबे लाख) रू0 मात्र।

3. **(क)** यह एक चालू केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें योजना की आधी राशि भारत सरकार द्वारा एवं आधी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

   (ख) योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के निदेश के क्रम में आवास का निर्माण कम-से-कम 10 के कलस्टर में किया जायगा। 25 का कलस्टर अच्छा होगा।

4. लाभुकों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा कलस्टर में किया जाएगा। चयन समिति में संबंधित जिले के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी मई, 2016 तक लाभुकों का चयन कराना सुनिश्चित करेंगे ।

5. योजना की मार्ग-दर्शिका के अनुरुप लाभुकों का चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:

   i. सक्रिय अथवा परंपरागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिक्री में सक्रिय हों।

   ii. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एवं भूमिहीन मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।

iii. घर हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वालों को भी कंडिका (i) एवं (ii) के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है। एक परिवार में एक आवास देय है। आवश्यकतानुसार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दी जायेगी।

iv. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा, जो इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में एक लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

6. (क) इस योजना अन्तर्गत प्रति आवास 234 वर्ग फीट के आवास निर्माण का मॉडल प्राक्कलन मो0 1,10,000/-रु0 मात्र है, जिसके विरुद्ध भारत सरकार से इस योजना अंतर्गत निर्धारित इकाई लागत मो0 75,000/-रु0 का भुगतान लाभुक को किया जाता है। पक्का आवासों का निर्माण मछुआरों की निजी जमीन पर कराया जाना है एवं इसके लिए राशि 4 किस्तों में एकाउन्ट पेयी चेक / एकाउन्ट स्थानांन्तरण के माध्यम से कमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किस्त में मछुआरों को उपलब्ध करायी जाएगी। भारत सरकार द्वारा इकाई लागत में वृद्धि होने पर निर्गत स्वीकृत्यादेश में उल्लिखित राशि के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य इकाई लागत के अनुरुप परिवर्तित किया जा सकेगा।

इसके विरुद्ध कार्य का मूल्यांकन प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त में क्षेत्रीय प्रभारी / कनीय अभियंता के द्वारा किया जाएगा एवं तद्नुरुप **जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा** राशि विमुक्त की जायेगी। लाभुकों की जॉच स्वयं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी कलस्टर में जाकर निर्धारित अहर्ता पर करेगें। आवास निर्माण कार्य स्वयं लाभुकों के द्वारा तकनीकी स्वीकृत मॉडल प्राक्कलन के अनुरुप विभागीय अभियंता के देख-रेख में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर कराया जायगा।

(ख) लाभुकों को किस्तवार निम्न रुप से राशि का भुगतान किया जायगा :

(i) प्लिंथ स्तर (20%)

(ii) छत स्तर (15%)

(iii) छत ढलाई/निर्माण (40%)

(iv) फिनिशिंग हेतु राशि दी जायेगी (25%)

(ग) स्थल निरीक्षण/मॉनिटरिंग जिला मत्स्य पदाधिकारी/अभियंता करेंगे।

(घ) प्लिंथ के समय इसे अनावश्यक बढ़ाने नहीं देंगे ताकि योजना पूर्ण होने में दिक्कत न हो।

(ड़) लाभुक अपनी Contribution कर घर की गुणवत्ता ठीक करेंगे।

(च) जिला मत्स्य पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सम्पर्क कर स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का प्रयास करेंगे।

(छ) लाभुक को kitchen garden/plantation हेतु environment/food security के मदद्नेजर वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित कर, लगवाएंगे।

7. लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखे जायेंगे, जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधा से उनकी दशा में आये सुधार का वर्णन रहेगा। योजना के लाभुक का नाम ब्यौरा, पूर्व, वर्तमान आवास का फोटो अभिलेख अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा जिला Web site पर भी डालेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी अन्य प्रभाग यथा पशुपालन विभाग, कृषि विभाग तथा जिला की योजनाओं का Convergence कराकर समेकित विकास के रुप में Model Village/ Cluster develop कर Case study करेंगें ।

8. योजना स्थल का चयन एवं योजना की Feasibility एवं सफलता का दायित्व स्थानीय जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा।

9. शीर्षवार जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न रुप में है :

(क) मॉग सं0-53-मत्स्य (रा0यो0 को के0स0यो0) मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूॅंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-02-मछुआरों का आवास निर्माण (चापाकल सहित) (केन्द्रांश-50:राज्यांश-50)

क्र0	जिला का नाम	राज्यांश: विस्तृत शीर्ष- 05 निर्माण-45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53P440500789020545 केन्द्रांश: विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण काय विपत्र कोड- 53C440500789020545			
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)		वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
		राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश
1	रॉंची	10	10	7.5	7.5
2	खूंटी	10	10	7.5	7.5
3	गुमला	10	10	7.5	7.5
4	सिमडेगा	5	5	3.75	3.75
5	लोहरदगा	10	10	7.5	7.5
6	पलामू	5	5	3.75	3.75
7	कोडरमा	5	5	3.75	3.75
8	गिरिडीह	5	5	3.75	3.75
9	चतरा	5	5	3.75	3.75
10	देवघर	10	10	7.5	7.5
11	जामताड़ा	10	10	7.5	7.5
12	पाकुड़	5	5	3.75	3.75
13	साहेबगंज	5	5	3.75	3.75
14	गोड्डा	5	5	3.75	3.75
कुल योग :		100	100	75.00	75.00

(ख)मॉग सं0-53-मत्स्य (रा0यो0 को के0स0यो0) मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूॅंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-02- मछुआरों का आवास निर्माण (केन्द्रांश-50:राज्यांश-50)

क्र0	जिला का नाम	(राज्यांश) विस्तृत शीर्ष- 05 निर्माण 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53P440500796020545 (केन्द्रांश) विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53C440500796020545			
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)		वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
		राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश
1	रॉंची	12	12	9.00	9.00
2	खूंटी	10	10	7.50	7.50
3	गुमला	11	11	8.25	8.25
4	सिमडेगा	12	12	9.00	9.00
5	लोहरदगा	12	12	9.00	9.00

6	लातेहार	12	12	9.00	9.00
7	पलामू	10	10	7.50	7.50
8	गढ़वा	10	10	7.50	7.50
9	पूर्वी सिंहभूम	12	12	9.00	9.00
10	पश्चिमी सिंहभूम	12	12	9.00	9.00
11	सरायकेला	15	15	11.25	11.25
12	हजारीबाग	10	10	7.50	7.50
13	रामगढ़	10	10	7.50	7.50
14	कोडरमा	10	10	7.50	7.50
15	बोकारो	10	10	7.50	7.50
16	धनबाद	5	5	3.75	3.75
17	गिरिडीह	10	10	7.50	7.50
18	चतरा	10	10	7.50	7.50
19	देवघर	30	30	22.50	22.50
20	दुमका	12	12	9.00	9.00
21	जामताड़ा	20	20	15.00	15.00
22	पाकुड़	10	10	7.50	7.50
23	साहेबगंज	10	10	7.50	7.50
24	गोड्डा	5	5	3.75	3.75
	कुल योग :	280	280	210.00	210.00

ग) मॉग सं0-53-मत्स्य (रा0यो0 को के0स0यो0) मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-02-मछुआरों का आवास निर्माण

(केन्द्रांश-50:राज्यांश-50)

क0	जिला का नाम	(राज्यांश) विस्तृत शीर्ष- 05 निर्माण 45 -निर्माण कार्य विपत्र कोड-53P0440500101020545 (केन्द्रांश) विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड-53C440500101020545			
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)		वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
		राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश
1	रॉची	20	20	15.00	15.00
2	खूंटी	10	10	7.50	7.50
3	गुमला	10	10	7.50	7.50
4	सिमडेगा	15	15	11.25	11.25
5	लोहरदगा	15	15	11.25	11.25
6	लातेहार	15	15	11.25	11.25
7	पलामू	30	30	22.50	22.50
8	गढ़वा	30	30	22.50	22.50
9	पूर्वी सिंहभूम	15	15	11.25	11.25

08
24/05/16

10	पश्चिमी सिंहभूम	15	15	11.25	11.25
11	सरायकेला	10	10	7.50	7.50
12	हजारीबाग	20	20	15.00	15.00
13	रामगढ़	10	10	7.50	7.50
14	कोडरमा	20	20	15.00	15.00
15	बोकारो	20	20	15.00	15.00
16	धनबाद	20	20	15.00	15.00
17	गिरिडीह	20	20	15.00	15.00
18	चतरा	20	20	15.00	15.00
19	देवघर	90	90	67.50	67.50
20	दुमका	20	20	15.00	15.00
21	जामताड़ा	50	50	38.00	38.00
22	पाकुड़	25	25	18.75	18.75
23	साहेबगंज	30	30	22.50	22.50
24	गोड्डा	20	20	15.00	15.00
कुल योग :		550	550	413.00	413.00

(घ) इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद की स्वीकृत राशि का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अन्तर्गत किया जायेगा तथा विमुक्त केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश मद की राशि व्यय की जायेगी।

10. लाभुकों के चयन के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी, संबंधित कनीय अभियंता एवं संबंधित क्षेत्र प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/ मत्स्य प्रसार प्रयविक्षक संयुक्त रूप से स्थल की जॉच तथा लाभुकों के आवेदन में वर्णित तथ्यों की छानबीन कर संतुष्ट हो लेंगे। लाभुक की सूची/उसके फोटोग्राफ/स्थायी पता/खाता-खेसरा जिस पर आवास निर्माण हो रहा है उसका ब्यौरा पंजी में संधारित करेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्थल निरीक्षण कर कलस्टर चयन/लाभुक चयन/लाभुक सुयोग्यता/कार्य प्रगति हेतु जिम्मेदार होंगे। किसी भी गड़बड़ी की जिम्मेवारी जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी एवं कारवाई की जायेगी। शपथ-पत्र पर फर्जी इत्यादि Real Ground reality से मेल नहीं पाने पर भी जिला मत्स्य पदाधिकारी ही दोषी होंगे।

11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची/चाईबासा/जमशेदपुर/गुमला/लोहरदगा/पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/ गिरिडीह /देवघर/चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला-खरसॉवा/ सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/ रामगढ़/खूँटी एवं कोडरमा होंगे, जो उपरोक्त कंडिका में दर्शाये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य एवं सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

12. यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्यांश 50 प्रतिशत एवं केन्द्रांश 50 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस चालू योजना हेतु भारत सरकार के पत्रांक 12035/01/2014-एफ0वाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 25 फरवरी, 2015 द्वारा इस योजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है।

13. योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में मात्र मो0 30.00 लाख रु0 मात्र एवं 2014-15 में मो0 6.00 लाख रु0 मात्र का अग्रिम समायोजन हेतु शेष था, जिसके समायोजन के लिए मत्स्य निदेशक द्वारा कार्रवाई की गई है।

14. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनर्वैधिकृत राशि मो0 15.04 लाख (पन्द्रह लाख चार हजार) रू0 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित है।

15. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में मो0 1600.00 लाख रू0 के स्वीकृत बजट उपबंध, राज्यांश मो0 800.00 लाख एवं केन्द्रांश मो0 800.00 लाख रु0 मात्र में से आवंटन मो0 क्रमश: 187.00 लाख रू0 एवं 187.00 लाख रू0 किया गया जिसके विरूद्ध वास्तविक व्यय राज्यांश अंतर्गत मो0 177.75 लाख रू0 एवं केन्द्रांश अंतर्गत मो0 171.75 लाख रु0 मात्र स्वीकृत कार्य हेतु किया गया एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं है।

16. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0 -01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

17. वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के पश्चात् निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17-04-98 एवं लोक निर्माण संहिता द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

19. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. स्वीकृत योजना का व्यय 1 अप्रैल, 2016 के पश्चात् वित्त विभाग के द्वारा निर्गत व्यय के सामान्य आदेश के पश्चात् आवंटित राशि के अंतर्गत किया जायेगा।

22. स्वीकृत राशि हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(पूजा सिंघल)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 08 मत्स्य / राँची , दिनांक 21.05.16

प्रतिलिपि सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 08 मत्स्य / राँची , दिनांक 21.05.16

प्रतिलिपि जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, पशुपालन एवं मत्स्य, मत्स्य भवन, डोरण्डा, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक 03 मत्स्य / रॉची , दिनांक 24.05.16

प्रतिलिपि योजना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, रॉची / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/ सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव।

final M 21.3.16